न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 40 / 2025

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 19 / 2025

राजस्थान सरकार जरिये, रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

...........**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री निखिल गुर्जर गुर्जर धर्मशाला के पास, कोटा रोड, नसीराबाद ।
2. श्री असलम पुत्र मो. फकीर मकान नं0 272 वार्ड नं0 07, मण्डी चौक, नसीराबाद, अजमेर पुलिस थाना नसीराबाद शहर।

...........**अप्रार्थी**

उपस्थित :–

श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी,	प्रवर्तन निरीक्षक	पेरोकार सरकार
श्री कन्हैया सिंह	अभिभाषक	अप्रार्थी 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
(सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र वास्ते जब्तशुदा वाहन को निर्मुक्त करने बाबत)

आदेश

दिनांक– 05.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 20.05.2025 को रेणुका चतर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी नसीराबाद, अतुल बड़ाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक के साथ जिला रसद अधिकारी अजमेर (द्वितीय) के आदेश कमांक / कअ / डीएसओ–02 / 2025 / 197 / 20.05.2025 की पालना में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की शिकायत की जांच हेतु नसीराबाद पहुंची। मौके पर निखिल गुर्जर के मकान से लगा हुआ एक बड़े दरवाजे वाला बाडानुमा स्थान पाया गया। टीम के इस स्थान पर पहुंचने पर 11.00 बजे प्रातः एक गाड़ी ने बडे दरवाजे में प्रवेश किया। गाडी के अन्दर प्रवेश करते ही एक व्यक्ति ने सरकारी गाड़ी सामने देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। मौके पर जिला रसद अधिकारी द्वारा कार्यवाही की सूचना थानाधिकारी नसीराबाद शहर को दी गई। मौके पर बाड़े की जांच करने पर उसमें हुण्डई इयोन मॉडल की गाडी जिसका नम्बर RJ-05-CA-5035 खडी पायी गई, जिसमें गैस किट लगा हुआ था। इस बाडे और निखिल गुर्जर के बीच की दीवार में लोहे का एक दरवाजा है, दोनों स्थानो के जुडे होने से रिफिलिंग वाले स्थान से गैस सिलेण्डर एवं रिफिलिंग मशीन हटाने की पूरी–पूरी संभावना पायी गई। मौके पर वाहन संख्या RJ-05-CA-5035 का चालक पीछे के रास्ते से फरार हो गया, मौके पर एक और वाहन अल्टो RJ-52-CA-155 बिना किट की भी थी, जिसकें ड्राइवर को गवाह बनाया गया। आरटीओ को पत्र लिखकर वाहन संख्या RJ-05-CA-5035 की सूचना मांगी जाने पर उक्त वाहन असलम नाम से रजिस्टर्ड होना बताया। मौके से 14 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं एक हुण्डई इयोन गाडी संख्या RJ-05-CA-5035 जब्त किये गये। मौके पर मलका गैस एजेन्सी के मैनेजर को बुलाकर सिलेण्डरों को तुलवा कर तलपट्टी अलग से बनाई गई एवं इन्हें अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु मैनेजर मलका गैस एजेन्सी श्री फिरोज मोहम्मद खान को सुपुर्दगी में दिये गये। वाहन संख्या RJ-05-CA-5035 को सुपुर्दगी में श्री बलवीर सिंह हैड कांस्टेबल थाना

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

नसीराबाद शहर को सुपुर्दगी में दिया गया। वाहन में अवैध रूप से घरेलू गैस से रिफिलिंग करना, बिना अनुज्ञा पत्र के भण्डारण करना, घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करना द्रवीकृत पेट्रोलियम (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3 (1) ख,ग का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 14 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 18.4 किग्रा एलपीजी मय वाहन संख्या RJ-05-CA-5035 को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर। अप्रार्थी संख्या 02 मय अभिभाषक स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र वास्ते वाहन रिलीज करवाने हेतु पृथक से प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को मूल प्रार्थना पत्र एवं सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 20.05.2025 को रेणुका चतर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी नसीराबाद, अतुल बड़ाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक के साथ जिला रसद अधिकारी अजमेर (द्वितीय) के आदेश क्रमांक/कअ/डीएसओ–02/2025/197/20.05.2025 की पालना में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की शिकायत की जांच हेतु नसीराबाद पहुंची। मौके पर निखिल गुर्जर के मकान से लगा हुआ एक बड़े दरवाजे वाला बाडानुमा स्थान पाया गया। टीम के इस स्थान पर पहुंचने पर 11.00 बजे प्रातः एक गाड़ी ने बडे दरवाजे में प्रवेश किया। गाडी के अन्दर प्रवेश करते ही एक व्यक्ति ने सरकारी गाड़ी सामने देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। मौके पर जिला रसद अधिकारी द्वारा कार्यवाही की सूचना थानाधिकारी नसीराबाद शहर को दी गई। थाना नसीराबाद से श्री कालूराम एचसी 45 श्री रिंकू मीणा कांस्टेबल 2952 उपस्थित हो गये। उनके द्वारा दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया गया लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया तथा उक्त स्थान से सटे हुए निखिल गुर्जर के मकान को भी खुलवाने का प्रयास किया गया लेकिन उपस्थित महिलाओं ने जांच में सहयोग करने से मना कर दिया। लगभग 45 मिनिट कोशिश के बाद दरवाजा खुला। मौके पर बाड़े की जांच करने पर उसमें हुण्डई इयोन मॉडल की गाडी जिसका नम्बर RJ-05-CA-5035 खडी पायी गई, जिसमें गैस किट लगा हुआ था। इस बाडे और निखिल गुर्जर के बीच की दीवार में लोहे का एक दरवाजा है, दोनों स्थानो के जुडे होने से रिफिलिंग वाले स्थान से गैस सिलेण्डर एवं रिफिलिंग मशीन हटाने की पूरी–पूरी संभावना पायी गई। मौके पर जांच दल के पहुंचने के साथ ही प्रवर्तन निरीक्षक अतुल बडाया द्वारा मकान के पीछे जाकर मौका मुआयाना किया गया, उस समय वहॉ कोई गैस सिलेण्डर नहीं पाये गये, लेकिन कुछ समय बाद ही निखिल गुर्जर के मकान के पीछे की दीवार से गैस सिलेण्डर पीछे गिराये गये एवं मकान के पीछे बने सार्वजनिक शौचालय में छुपा दिये गये। पुलिस एवं जांच दल के सदस्यों को देखकर जो व्यक्ति सिलेण्डर लेकर छुपा रहा था वह भाग गया। मौके पर प्रवर्तन दल द्वारा निखिल गुर्जर के मकान के पीछे बने सार्वजनिक शौचालय से 14 घरेलू सिलेण्डर बरामद किये, यह उल्लेखनीय है कि ये सिलेण्डर कुछ समय पहले दल द्वारा उक्त स्थान का निरीक्षण करते समय नहीं थे लेकिन कुल 10–15 मिनिट की अवधि में ये सिलेण्डर वहां लेकर छिपाये

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

गये। जिला रसद अधिकारी को निखिल गुर्जर द्वारा अवैध रूप से वाहनों में रिफिलिंग की शिकायत प्राप्त होना, जांच दल की गाडी को देखते ही बाडेनुमा बडे दरवाजे वाले स्थान का दरवाजा बंद कर देना एवं 45 मिनिट तक नहीं खोलना, निखिल गुर्जर के मकान की तलाशी उने घर की महिलाओ द्वारा नहीं करने देना, जांच में सहयोग नहीं कर जांच दल के साथ अभद्रता कररना पाया। मौके पर निखिल गुर्जर के मकान से सिलेण्डर पीछे की दीवार से गिरा कर सार्वजनिक शौचालय में छुपाना यह सभी सिद्ध करते है कि इस स्थान पर वाहनों में अवैध रूप से घरेलू सिलेण्डरो से रिफिलिंग की कार्यवाही की जा रही थी। मौके पर वाहन संख्या RJ-05-CA-5035 का चालक पीछे के रास्ते से फरार हो गया, मौके पर एक और वाहन अल्टो RJ-52-CA-155 बिना किट की भी थी, जिसके ड्राइवर को गवाह बनाया गया। आरटीओ को पत्र लिखकर वाहन संख्या RJ-05-CA-5035 की सूचना मांगी जाने पर उक्त वाहन असलम नाम से रजिस्टर्ड होना बताया। मौके से 14 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं एक हुण्डई इयोन गाडी संख्या RJ-05-CA-5035 जब्त किये गये। सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार पाया गया–

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	92547 S	HPCL	15.8	15.8	0
2	266016 T	HPCL	15.5	15.5	0
3	470841	HPCL	16.1	19	2.9
4	701627	HPCL	15.4	19	3.6
5	242279	HPCL	16.0	16.0	0
6	083099	HPCL	15.2	15.2	0
7	102523	HPCL	15.6	15.6	0
8	118171	HPCL	16.9	16.9	0
9	638371	HPCL	15.5	15.5	0
10	943370	HPCL	16.0	16.0	0
11	042155	HPCL	15.4	15.4	0
12	237256	HPCL	15.0	15.5	0.5
13	294809	HPCL	15.8	15.8	0
14	516922	HPCL	15.5	27	11.4

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

मौके पर मलका गैस एजेन्सी के मैनेजर को बुलाकर सिलेण्डरों को तुलवा कर तलपट्टी अलग से बनाई गई एवं इन्हें अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु मैनेजर मलका गैस एजेन्सी श्री फिरोज मोहम्मद खान को सुपुर्दगी में दिये गये। वाहन संख्या RJ-05-CA-5035 को सुपुर्दगी में श्री बलवीर सिंह हैड कांस्टेबल थाना नसीराबाद शहर को सुपुर्दगी में दिया गया। वाहन में अवैध रूप से घरेलू गैस से रिफिलिंग करना, बिना अनुज्ञा पत्र के भण्डारण करना, घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करना द्रवीकृत पेट्रोलियम (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3 (1) ख,ग का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की के तहत. दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 14 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 18.4 किग्रा एलपीजी मय वाहन संख्या RJ-05-CA-5035 को राजसात करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर निवेदन किया की वाहन संख्या RJ-05-CA-5035 का पंजीकृत वाहन स्वामी है। पृथक से वाहन रिलीज करवाने हेतु सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। मूल प्रकरण में जवाब की आवश्यकता नहीं है। उक्त वाहन को खराबी हेतु दिखाने गया था। अतः वाहन को छोड़ा जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 20.05.2025 को रेणुका चतर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी नसीराबाद, अतुल बडाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक के साथ जिला रसद अधिकारी अजमेर (द्वितीय) के आदेश क्रमांक/कअ/डीएसओ–02/2025/197/20.5.2025 की पालना में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की शिकायत की जांच हेतु नसीराबाद पहुंचे। मौके पर निखिल गुर्जर के मकान से लगा हुआ एक बडे दरवाजे वाला बाडानुमा स्थान पाया गया। टीम के इस स्थान पर पहुंचने पर 11.00 बजे प्रातः एक गाडी ने बडे दरवाजे में प्रवेश किया। गाड़ी के अन्दर प्रवेश करते ही एक व्यक्ति ने सरकारी गाडी सामने देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। मौके पर जिला रसद अधिकारी द्वारा कार्यवाही की सूचना थानाधिकारी नसीराबाद शहर को दी गई। उनके द्वारा दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया गया लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया तथा उक्त स्थान से सटे हुए निखिल गुर्जर के मकान को भी खुलवाने का प्रयास किया गया लेकिन उपस्थित महिलाओं ने जांच में सहयोग करने से मना कर दिया। लगभग 45 मिनिट कोशिश के बाद दरवाजा खुला। मौके पर बाडे की जांच करने पर उसमें हुण्डई इयोन मॉडल की गाडी जिसका नम्बर RJ-05-CA-5035 खडी पायी गई, जिसमें गैस किट लगा हुआ था। बाडे और निखिल गुर्जर के बीच की दीवार में लोहे का एक दरवाजा है, दोनों स्थानो के जुडे होने से रिफिलिंग वाले स्थान से गैस सिलेण्डर एवं रिफिलिंग मशीन हटाने की पूरी–पूरी संभावना पायी गई। मौके पर जांच दल के पहुंचने के साथ ही प्रवर्तन निरीक्षक अतुल बडाया द्वारा मकान के पीछे जाकर मौका मुआयाना किया गया, उस समय वहाँ कोई गैस सिलेण्डर नहीं पाये गये, लेकिन कुछ समय बाद ही निखिल गुर्जर के मकान के पीछे की दीवार से गैस सिलेण्डर पीछे गिराये गये एवं मकान के पीछे बने सार्वजनिक शौचालय में छुपा दिये गये। मौके पर प्रवर्तन दल द्वारा निखिल गुर्जर के मकान के पीछे बने सार्वजनिक शौचालय से 14 घरेलू सिलेण्डर बरामद किये, यह उल्लेखनीय है कि ये सिलेण्डर कुछ समय पहले दल द्वारा उक्त स्थान का

जिला कलेक्टर
अजमेर

निरीक्षण करते समय नहीं थे लेकिन कुल 10–15 मिनिट की अवधि में ये सिलेण्डर वहां लेकर छिपाये गये। जिला रसद अधिकारी को निखिल गुर्जर द्वारा अवैध रूप से वाहनों में रिफिलिंग की शिकायत प्राप्त होना, जांच दल की गाडी को देखते ही बाडेनुमा बड़े दरवाजे वाले स्थान का दरवाजा बंद कर देना एवं 45 मिनिट तक नहीं खोलना, निखिल गुर्जर के मकान की तलाशी उने घर की महिलाओ द्वारा नहीं करने देना, जांच में सहयोग नहीं कर जांच दल के साथ अभद्रता कररना पाया। मौके पर निखिल गुर्जर के मकान से सिलेण्डर पीछे की दीवार से गिरा कर सार्वजनिक शौचालय में छुपाना यह सिद्ध करते है कि इस स्थान पर वाहनों में अवैध रूप से घरेलू सिलेण्डरो से रिफिलिंग की कार्यवाही की जा रही थी। मौके पर वाहन संख्या RJ-05-CA-5035 का चालक पीछे के रास्ते से फरार हो गया, मौके पर एक और वाहन अल्टो RJ-52-CA-155 बिना किट की भी थी, जिसके ड्राइवर को गवाह बनाया गया। मौके से 14 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं एक हुण्डई इयोन गाडी संख्या RJ-05-CA-5035 जब्त किये गये। वाहन में अवैध रूप से घरेलू गैस से रिफिलिंग करना, बिना अनुज्ञा पत्र के भण्डारण करना, घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करना द्रवीकृत पेट्रोलियम (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3 (1) ख,ग का उल्लंघन का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा जब्तशुदा 14 सिलेण्डरो, मय 18.4 किग्रा एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें। इस न्यायालय को कब्जेराज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commodity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। चूंकि हुण्डई इयोन मॉडल गाडी RJ-05-CA-5035 में अवैध रूप से गैस भराये जाने से उक्त वाहन का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी, अवैध कृत्य के परिवहन हेतु किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि वाहन स्वामी ने उक्त वाहन को निर्मुक्त करने का निवेदन किया है। लिहाजा वाहन हुण्डई इयोन मॉडल RJ-05-CA-5035 को अवैध गैस रिफलिंग के उपयोग में लाये जाने कारण वाहन पर रूपये 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि राजकोष में जमा कराने पर वाहन हुण्डई इयोन मॉडल RJ-05-CA-5035 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 19/2025 का निस्तारण इसी आदेश में किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय जिला कलेक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर